



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232784
CG-DL-E-20012022-232784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 34]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/106/12-डीडी/123/12/डीसी/453/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सांबा शिव राव एम. (सदस्यता संख्या 021858), संख्या 67, पहला एच-क्रॉस, तीसरा मेन, शारदा कॉलोनी, बसवेश्वरनगर, बंगलुरु 560 079 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (6), (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सांबा शिव राव एम (सदस्यता संख्या 021858) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के

साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सांबा शिव राव एम (सदस्यता संख्या 021858) का नाम, 20 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./589/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/106/12-DD/123/12/DC/453/2016.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Samaba Siva Rao M (Membership No. 021858), No. 67, 1st H-Cross, 3rd Main Sharada Colony, Basaveshwaranagar, BENGALURU 560 079**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5), (6), (7) and (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Samaba Siva Rao M (Membership No. 021858)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) to be paid within a period of 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional period of 1(one) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Samaba Siva Rao M (Membership No. 021858) shall stand removed from the Register of Members for a period of 1(one) month with effect from 20th January, 2022.**

CA (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./589/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232785
CG-DL-E-20012022-232785

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 40]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/97/16-डीडी/131/16/डीसी/750/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. जल दुर्गा श्रीनिवास कंभमपति (सदस्यता संख्या 200487), 49-24-52, ऊपर, शंकरमठ रोड, आर के नगर, विशाखापत्तनम 530 016 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. जल दुर्गा श्रीनिवास कंभमपति (सदस्यता संख्या 200487) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. जल दुर्गा श्रीनिवास कंभमपति (सदस्यता संख्या 200487) का नाम, 20 जनवरी, 2022 से 04 (चार) मास [03 (तीन) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डा. जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./595/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/97/16-DD/131/16/DC/750/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Jala Durga Srinivas Kambhampati (Membership No. 200487), 49-24-52, Upstairs, Sankarmatt Road, R. K. Nagar, VISAKHAPATNAM 530 016**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Jala Durga Srinivas Kambhampati (Membership No. 200487)** from the Register of Members for a period of 03(Three) months and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) to be paid within a period of 3 (Three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time his name be removed for additional period of 1(one) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Jala Durga Srinivas Kambhampati (Membership No. 200487)** shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 4(Four) months [03(Three months plus additional 1(one) month] with effect from 20th January, 2022.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./595/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232796
CG-DL-E-20012022-232796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 35]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/284/16-डीडी/23/17/डीसी/1245/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. बड्डाकोटि चिन्नप्पा गौड़ा (सदस्यता संख्या 204458), संख्या 210, दूसरी मंजिल, कॉमर्स हाउस, कॉनिंघम रोड, बंगलुरु 560 052 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. बड्डाकोटि चिन्नप्पा गौड़ा (सदस्यता संख्या 204458) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी ने पहले ही अधिरोपित जुर्माने का संदाय कर दिया है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. बड्डाकोटि चिन्नप्पा

गौड़ा (सदस्यता संख्या 204458) का नाम, 20 जनवरी, 2022 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डा. जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./590/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/284/16-DD/23/17/DC/1245/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Baddakoti Chinnappa Gowda (Membership No. 204458), No. 210, 2nd Floor, Commerce House, Conningham Road, BENGALURU 560 052**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Baddakoti Chinnappa Gowda (Membership No. 204458)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand only) to be paid within a period of 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional period of 1(one) month. Since the Respondent has already paid the imposed fine, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Baddakoti Chinnappa Gowda (Membership No. 204458)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) month with effect from 20th January, 2022.

CA Dr. JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./590/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232797
CG-DL-E-20012022-232797

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 36]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/274/15-डीडी/294/15/डीसी/751/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. राजगोपालन वेदनारायणन (सदस्यता संख्या 029472), हरिहरतमजम, 10, पहली मंजिल, महालिंगम गली, महालिंगपुरम, नुंगमबक्कम, चेन्नई 600 034 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. राजगोपालन वेदनारायणन (सदस्यता संख्या 029472) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. राजगोपालन वेदनारायणन (सदस्यता संख्या 029472) का नाम, 20 जनवरी, 2022 से 07 (सात) मास [06 (छह) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. डा. जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./591/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR/274/15-DD/294/15/DC/751/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Rajagopalan Vedanarayanan (Membership No. 029472), Hariharathmajam, 10, 1st Floor, Mahalingam St., Mahalingapuram, Nungambakkam, CHENNAI 600 034**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Rajagopalan Vedanarayanan (Membership No. 029472)** from the Register of Members for a period of 06 (Six) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) to be paid within a period of 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional period of 1(one) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Rajagopalan Vedanarayanan (Membership No. 029472)** shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 7(Seven) months [06(Six) months plus additional 1(one) month] with effect from 20th January, 2022.

CA. Dr. JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./591/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232798
CG-DL-E-20012022-232798

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 33]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/61/2014-डीडी/99/2014-डीसी/635/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(ख)(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. देवकी नंदन गुप्ता (सदस्यता संख्या 052634), 10, गणेश चंद्र एवेन्यू, पांचवीं मंजिल, सुट नं. 32, कोलकाता -700 013 को दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. देवकी नंदन गुप्ता (सदस्यता संख्या 052634) के नाम को 02 (दो) वर्षों की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने और साथ ही रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) का जुर्माना भी लगाने का आदेश दिया था। तथापि, अनुशासन समिति द्वारा दिए गए दंड को अपील संख्या 05/आईसीएआई/2020 द्वारा अपीलिय प्राधिकरण ने अपने 14 जून, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित करके नाम हटाए जाने की अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने के साथ-साथ जुर्माना रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. देवकी नंदन गुप्ता (सदस्यता संख्या 052634) का नाम 20 जनवरी, 2022 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./588/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR-61/2014-DD/99/2014-DC/635/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Devki Nandan Gupta (Membership No. 052634), 10, Ganesh Chandra Avenue, 5th Floor, Suite No. 32, KOLKATA 700 013**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Devki Nandan Gupta (Membership No. 052634)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only). However, the punishment awarded by the Disciplinary Committee has been modified by the Appellate Authority vide its order dated 14th June, 2021 in Appeal no. 05/ICAI/2020 by reducing the period of removal from two years to one year with a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh Only). In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Devki Nandan Gupta (Membership No. 052634)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) year with effect from 20th January, 2022.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./588/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232801
CG-DL-E-20012022-232801

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 39]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-154बी/2015-डीडी/165/2015-डीसी/905/2018 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. राजेंद्र नाथ भर (सदस्यता संख्या 052197), 115, कॉलेज स्ट्रीट, व्हाइट टॉवर, चौथी मंजिल, कमरा नंबर 4 ए, कोलकाता 700 012 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) और दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. राजेंद्र नाथ भर (सदस्यता संख्या 052197) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. राजेंद्र नाथ भर (सदस्यता संख्या 052197) का नाम, 20 जनवरी, 2022 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./594/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

F. No. PR-154B/2015-DD/165/2015-DC/905/2018: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Rajendra Nath Bhar (Membership No. 052197), 115, College Street, White Tower, 4th Floor, Room No. 4A, KOLKATA 700 012**, guilty of Professional and Other Misconduct falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule and Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Rajendra Nath Bhar (Membership No. 052197)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Rajendra Nath Bhar (Membership No. 052197)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(Six) months with effect from 20th January, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./594/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232802
CG-DL-E-20012022-232802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 38]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/131/18-डीडी/149/18/डीसी/1350/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने सीए. ललित कुमार ए (सदस्यता संख्या 212155), नंबर 9, भूतल, दीवान रामा रोड, स्काईलार्क अपार्टमेंट के बगल में, चेन्नई 600 084 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. ललित कुमार ए (सदस्यता संख्या 212155) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 20,000/- रुपए (बीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका संदाय 3 (तीन) मास के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को अतिरिक्त 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. ललित कुमार ए (सदस्यता संख्या 212155) का नाम, 20 जनवरी, 2022 से 02 (दो) मास [01 (एक) मास और अतिरिक्त 01 (एक) मास] की समेकित अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./593/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

F. No. PR/131/18-DD/149/18/DC/1350/2020: In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Lalith Kumar A (Membership No. 212155), No. 9, Ground Floor, Diwan Rama Road, Next to Skylark Apartments, CHENNAI 600 084**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I and Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Lalith Kumar A (Membership No. 212155)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 20,000/-(Rupees Twenty Thousand only) to be paid within a period of 3 (three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for additional period of 1(one) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Lalith Kumar A (Membership No. 212155) shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 2(Two) months [01(One) month plus additional 1(one) month] with effect from 20th January, 2022.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./593/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012022-232803
CG-DL-E-20012022-232803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 20, 2022/पौष 30, 1943

No. 37]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 20, 2022/PAUSHA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/174/12-डीडी/189/12/डीसी/444/2016.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. कृष्ण कुमार सिंघल (सदस्यता संख्या 050140) 50 वेस्टन स्ट्रीट, चौथा तल, कक्ष सं. 407, कोलकाता 700 012 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. कृष्ण कुमार सिंघल (सदस्यता संख्या 050140) के नाम को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इस आदेश को अपील प्राधिकरण द्वारा तारीख 11 जनवरी, 2022 को सुनाए गए निर्णय द्वारा भी सही ठहराया गया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. कृष्ण कुमार सिंघल (सदस्यता संख्या 050140) का नाम 20 जनवरी, 2022 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./592/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2022

(Chartered Accountants)

No. PR-174/2012-DD/189/2012-DC/444/2016.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Krishan Kumar Singhal (Membership No. 050140), 50, Weston St. 4th Floor, R No. 407, KOLKATA 700 012**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Krishan Kumar Singhal (Membership No. 050140)** from the Register of Members for a period of 03(Three) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only). The same is also upheld by the Appellate Authority vide judgment pronounced on 11th January, 2022. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Krishan Kumar Singhal (Membership No. 050140)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) years with effect from 20th January, 2022.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./592/2021-22]